एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)
NHPC Limited
(A Government of India Navratna Enterprise)

मानव संसाधन विभाग
Human Resource Department
एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-33,
फ़रीदाबाद (हरियाणा)-121003
NHPC Office Complex, sector-33,
Faridabad (Haryana)-121003
ईमेल/Email: policy-co@nhpc.nic.in,
वैबसाइट/Website: www.nhpcindia.com

पीपीएल-668

दिनांक : 26.10.2026

भाग -I कार्यालय आदेश संख्या ....53. /2026

विषय: SAP ERP प्रणाली के स्थिरीकरण काल के दौरान चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय-सीमा में अतिरिक्त छूट प्रदान किए जाने के संबंध में।

एनएचपीसी एवं इसकी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में दिनांक 01.09.2026 से SAP ERP प्रणाली लागू की गई है। इसके पूर्व प्रचलित IFS ERP प्रणाली दिनांक 14.08.2026 से बंद कर दी गई थी। SAP ERP प्रणाली के प्रारंभिक स्थिरीकरण (Stabilization) चरण के दौरान उत्पन्न तकनीकी एवं परिचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत करने में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया है:

1. NHPC Medical Attendance Rules के क्लॉज़ 14.5 एवं NHPC Retired Employees Health Scheme के क्लॉज़ 9.2 के अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तीन माह की समय-सीमा में एक बार के विशेष उपाय के रूप में अतिरिक्त 60 दिनों की छूट प्रदान की जाती है। तदनुसार, पात्र चिकित्सा दावे उपचार पूर्ण होने की तिथि से अधिकतम 150 दिनों (लगभग पाँच माह) के भीतर प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

2. उक्त विशेष छूट दिनांक **14.08.2026 से 31.12.2026** तक की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों पर ही लागू होगी।

3. यह छूट पूर्णतः अस्थायी एवं एक बार के विशेष उपाय के रूप में प्रदान की जा रही है। दिनांक **01.01.2027** से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत करने हेतु संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित मूल समय-सीमा पुनः लागू होगी। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्रस्तुत किए जाने वाले विलंबित दावों के संबंध में प्रचलित नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी।

II. यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

26/10/2026

(शिवानी बिष्ट)
उप महाप्रबंधक(मा सं)

वितरण: मानक